179 से लगायत 195 तक कुल बिना 17 कुल रकबा 4.09 हेक्टर में अतिक्रमी किया। मृत्यु पिता भगवा जाति गवरी के हिस्से हर्ष 43 बिघा के 113 में भागतक पर आवाली पेशी दिनांक तक अतिक्रमण स्थान रेखांकित भी मय बिघाई बनाये रखे। पत्रावली वास्ते पक्ष दिनांक 20.8.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

20/8/2025
वकील उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् ... पर/दीगर कार्य/अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/9/25 को पेश हो।
आज्ञा से रीडर

18/9/2025 वकील तरफी पेश। अतिक्रमी पेश। घायल नहीं। आप हित में घायल रहने का अवसर दिया जाता है। स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

16/10/2025
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ... दिनांक 19/11/25 को पेश हो।
आज्ञा से रीडर

19/11/2025 वकील तरफी पेश। अतिक्रमी पेश। घायल नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई घायल नहीं है तरफा कार्यवाही की जाती है। कुल प्रार्थना पत्र पूर्ण हुई। प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनता है। दिनांक 22/7/2025 से पारी स्थगन कुल पक्ष के जिम्मा तक स्थायी रहेगा। पत्रावली केवल मूलभूत नम्बर से कम हो। आदेश मुजाम किया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़